P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-12* (Part-2) March- 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

राजस्थान राज्य के डेयरी किसानों से सम्बन्धित प्रमुख योजनाओं का व्याख्यात्मक परिचय

रामचन्द्र स्वामी
शोधार्थी,
भूगोल विभाग,
राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय,
अलवर, राजस्थान, भारत

सारांश

डेयरी उद्योग की योजनायें व परियोजनायें विशेषकर तीन पक्षों यथा डेयरी किसान, डेयरी पशुओं तथा डेयरी संयन्त्रों से सम्बन्धित होती हैं। प्रस्तुत शोध कार्य में दो पक्षों पशुपालक (डेयरी किसान) व डेयरी पशुओं से सम्बन्धित योजनाओं का विवेचन किया गया है। ये योजनायें पशुपालक तथा पशुओं के लिए बीमा, बीमा प्रीमियम पर छूट, ऋण, अनुदान, स्वरोजगार, स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधायें, नस्ल सुधार, बाँझपन निराकरण, शिक्षा, पोषण, प्रशिक्षण और स्वच्छता आदि से सम्बन्धित हैं। भ्रष्टाचार, पर्याप्त प्रचार–प्रसार का अभाव, लाभ प्राप्त करने की जटिल प्रक्रिया, पशुरोग, अशिक्षा, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का अभाव तथा डेयरी उद्योग से सम्बन्धित विभागों व कार्यालयों में सामंजस्य नहीं होना इन योजनाओं के पूर्ण उद्देश्य प्राप्ति में मुख्य बाधक तत्व हैं। परन्तु फिर भी इन योजनाओं की डेयरी किसानों को स्वरोजगार, आर्थिक सुरक्षा, पोषण, महिला सशक्तिकरण एवम् समावेशी विकास में प्रभावी भूमिका है। साररूप में डेयरी उद्योग की योजनाओं का सरलीकरण व प्रचार–प्रसार करके प्रभावी क्रियान्वयन व निरीक्षण से डेयरी किसानों (दूध उत्पादकों) व पशुओं का सामाजिक, आर्थिक कल्याण और डेयरी उद्योग व राज्य की अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त मजबूती दी जा सकती है।

मुख्य शब्द : आर्थिक सुरक्षा, पशुधन, डेयरी उद्यमिता, समावेशी विकास, स्वरोजगार, मरुस्थलीय राज्य, जनसंसाधन।

प्रस्तावना

भारत की उद्योग संस्कृति में कृषि आधारित उद्योगों का महत्त्वपूर्ण स्थान व योगदान रहा है। कृषि से सम्बन्धित उद्योगों में डेयरी उद्योग का दर्जा महत्त्वपूर्ण है। भारत में डेयरी व्यवसाय की असीम सम्भावनायें तथा बाजार उपलब्ध है क्योंकि भारत में विश्व का सबसे अधिक पशुधन एवम् विशाल जनसंसाधन पाया जाता है। डेयरी उद्योग में ग्रामीण आर्थिक सुदृढ़ीकरण तथा रोजगार की जबरदस्त क्षमता है। डेयरी व्यवसाय, ग्रामीण भारत विशेषकर राजस्थान जैसे मरुस्थलीय राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद, पशुधन समृद्धि व पोषण में महत्त्वपूर्ण योगदान एवम् रोजगार का प्रमुख साधन तथा आर्थिक हथियार है। राजस्थान जैसे मरुस्थलीय राज्य में बार–बार अकाल व सूखा पड़ता रहता है इस वजह से राज्य में डेयरी उद्योग का महत्व ओर अधिक हो जाता है। डेयरी उद्योग को आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड तथा डेनमार्क जैसे देशों के स्तर पर ले जाने के लिए राजस्थान राज्य में भारत सरकार का पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, राजस्थान पशुपालन विभाग, राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी संघ तथा राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड द्वारा समय–समय पर अनेक योजनायें और कार्यक्रम संचालित व क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

डेयरी उद्योग की योजनायें मुख्यतः त्रिपक्षीय अर्थात् डेयरी किसान, डेयरी पशुओं तथा डेयरी संयन्त्रों से सम्बन्धित होती हैं। प्रस्तुत शोधपत्रानुसार इस शोध पत्र में डेयरी किसानों (दूध उत्पादकों) एवम् पशुओं से सम्बन्धित योजनाओं का परिचयात्मक वर्णन है। डेयरी किसानों के स्वास्थ्य, शिक्षा, शिक्षण–प्रशिक्षण, बीमा तथा आर्थिक सुरक्षा से सम्बन्धित डेयरी उद्योग की योजनाओं का मुख्य उद्देश्य दूध उत्पादकों का आर्थिक कल्याण है जिससे समावेशी विकास तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके। वहीं दूसरी ओर पशुओं के स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधायें, नस्ल सुधार, बाँझपन निराकरण, पौष्टिक चारा और पशुआहार से सम्बन्धित योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। पशुपालकों की आर्थिक सुरक्षा व सहायता हेतु पशु बीमा, पशु ऋण आदि से सम्बन्धित योजनाओं के साथ–साथ स्वच्छता, पोषण, प्रोटीन, वैज्ञानिक पशुपालन और स्वरोजगार पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

इस प्रकार डेयरी उद्योग डेयरी किसानों व पशुओं के सामाजिक व आर्थिक कल्याण हेतु निरन्तर प्रयासरत है लेकिन अभी भी वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संचालित इन योजनाओं का व्यावहारिक नियमन, कुशल क्रियान्वयन, सरलीकरण तथा पर्याप्त प्रचार–प्रसार की जरूरत है।

शोध क्षेत्र

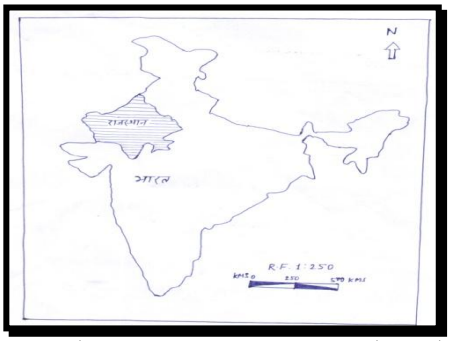

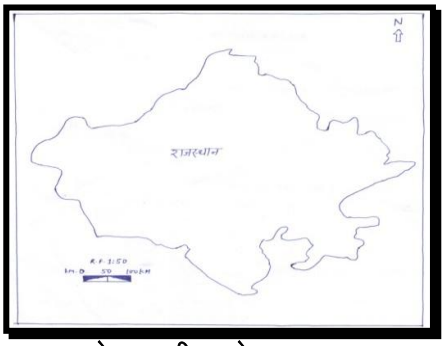

प्रस्तुत शोध पत्र राजस्थान राज्य के विशेष सन्दर्भ में है। इस राज्य की अवस्थिति $23^0 03'$ से $30^0 12'$ उत्तरी अक्षांश एवम् $69^0 30'$ से $78^0 17'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य है। यह दो–तिहाई मरुस्थलीय राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसका क्षेत्रफल 342239 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणनानुसार राजस्थान राज्य की जनसंख्या 6.85 करोड़ तथा साक्षरता दर 66.11 प्रतिशत है। अन्तर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले इस राज्य की राजधानी जयपुर है। अरावली पर्वतमाला द्वारा विभाजित इस राज्य की जलवायु शुष्क एवम् उपार्द्र मानसूनी मानी जाती है। राज्य में कुल पशुधन 20वीं पशुगणनानुसार 568 लाख है।

शोध का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य डेयरी उद्योग द्वारा डेयरी किसानों (दूध उत्पादकों) तथा डेयरी पशुओं के लिए संचालित प्रमुख योजनाओं का व्याख्यात्मक तथा परिचयात्मक वर्णन करना है।

डेयरी उद्योग की प्रमुख योजनायें

इस शोध पत्र में प्रस्तुत समस्त योजनायें व परियोजनायें भारत एवम् राजस्थान सरकार के सम्बन्धित विभाग एवम् संस्थाओं की हैं। लेखक का इन योजनाओं को शोध पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने के पीछे उद्देश्य नकल या साहित्यक चोरी नहीं बल्कि सभी प्रमुख लाभप्रदायक योजनाओं का समाकलित, समसामयिक और व्याख्यात्मक रूप से प्रस्तुत कर योजनाओं के लक्ष्य एवम् उद्देश्य स्पष्ट करना है। डेयरी उद्योग की डेयरी किसानों (दूध उत्पादकों) व डेयरी पशुओं से सम्बन्धित प्रमुख योजनायें निम्नलिखित हैं–

गोपाल योजना

यह योजना 02 अक्टूबर, 1990 से राज्य के कुछ जिलों में ग्रामीण युवकों की भागीदारी से पशुधन नस्ल सुधार द्वारा पशुपालकों के आर्थिक स्तर में सुधार लाने व युवकों को रोजगार प्रदान करने हेतु प्रारम्भ की गई है। इसमें चयनित ग्रामीण युवकों को गोपाल के रूप में प्रशिक्षित कर उन्हें गाँव में कृत्रिम गर्भाधान, नाकारा पशुओं का बंध्याकरण, चारा विकास और पशुओं की देखभाल व उन्हें सींगविहीन करने हेतु लगाया जाता है।

गोरक्षक बीमा योजना

यह योजना राज्य में यूनाइटेड इण्डिया द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना में गाय मालिक का एक लाख रूपये तक का दुर्घटना बीमा किया जाता है। बीमा योजना के प्रीमियम पर भी राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है।

गोपालक योजना

राज्य में संचालित इस योजनान्तर्गत गाय मालिक का रु. 75000 का सामान्य बीमा भारतीय जीवन बीमा निगम की "जन श्री योजना" के तहत करवाया जाता है। इस योजना का प्रीमियम रु. 200 प्रति गोपालक है जिसमें से रु. 125 का अनुदान देय है।

महिला डेयरी परियोजना

भारत सरकार के महिला एवम् बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 1992–93 से राज्य में संचालित यह परियोजना महिला सशक्तिकरण एवम् आर्थिक स्वावलम्बन हेतु महत्त्वपूर्ण परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य सहकारिता पर आधारित दुग्ध व्यवसाय को गति देने के लिए घूंघट के पीछे छीपी प्रबन्धकीय क्षमता का उपयोग कर ग्रामीण महिलाओं के अस्तित्व को सामाजिक स्वीकृति दिलवाना है।

पशुधन बाँझ निवारण शिविर

पशुपालकों को अपने पशुओं को बाँझ होने से बचाने के उपायों की जानकारी उपलब्ध करवाने तथा ऐसे पशुओं का चिह्नीकरण कर इलाज के लिए यह योजना प्रारम्भ की गई ताकि बाँझ पशु प्रजनन व उत्पादन योग्य बन सके। इसमें प्रतिवर्ष 912 शिविरों तथा 50 बाँझ पशुओं का इलाज किया जाता है। प्रति शिविर रु. 5000 का प्रावधान किया गया है।

कामधेनु योजना

गौशालाओं में दुधारु गौवंश नस्ल सुधार से सम्बन्धित इस योजना की शुरूआत सन् 1997–98 में हुई। राज्य में संचालित इस योजना के तहत बीमा प्रीमियम पर राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

राष्ट्रीय गाय एवम् भैंस प्रजनन परियोजना

यह 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रवर्तित परियोजना राज्य में वर्ष 2001–02 से क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना कृत्रिम गर्भाधान से गाय और भैंस की नस्ल सुधार

हेतु प्रारम्भ की गई है। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड को इस योजना के क्रियान्वयन के लिए "राज्य क्रियान्वयन एजेन्सी" घोषित किया गया है।

अविकापाल जीवन रक्षक योजना

भेड़पालक की दुर्घटना, विकलांगता अथवा मृत्यु की स्थिति में उन्हें अथवा उनके परिवार को बीमा क्लेम राशि उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। 6 दिसम्बर, 2004 से प्रारम्भ इस योजना में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित जनश्री योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है।

अविका कवच बीमा योजना

राज्य में भेड़पालकों के कल्याण के लिए यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस बीमा योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/गरीबी रेखा से नीचे के भेड़पालकों को भेड़ों के बीमा प्रीमियम पर 80 प्रतिशत तथा सामान्य भेड़पालकों को 70 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है।

अविका क्रेडिट कार्ड योजना

केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से वर्ष 2004–05 से प्रारम्भ यह योजना भेड़पालकों को ऋण प्रदान करने की योजना है। भेड़पालकों को पशुओं के रख रखाव एवम् दैनिक आवश्यकताओं यथा–चारा, दवाइयाँ, बीमा राशि आदि की पूर्ति हेतु यह ऋण सुविधा नगद साख सीमा के रूप में अविका क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है।

सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना

वर्ष 2005 से संचालित इस योजना में दुग्ध उत्पादकों को कैश–लैस (नगद रहित) सुविधा प्रदान की गई है। जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों द्वारा सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना का 13 वां चरण शुरू किया गया है। इस योजना के अब तक 12 चरण पूर्ण हो चुके हैं।

अविरक्षक योजना

भेड़पालकों की भेड़ों को चराने या निष्क्रमण के दौरान दुर्घटना, विकलांगता अथवा दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में उन्हें अथवा उनके परिवार को बीमा क्लेम राशि उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यह योजना जनरल इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा संचालित "जनता पर्सनल एक्सीडेंट इश्योरेंस स्कीम" के तहत वर्ष 2008–09 से संचालित की जा रही है।

डेयरी विकास कार्ड योजना

इस योजना के तहत दूध उत्पादकों को एक डेयरी कार्ड दिया जाता है। यह भी ए. टी. एम. कार्ड की तरह ही कार्ड है जिससे डेयरी उद्योग सम्बन्धी किसी भी कार्य हेतु रु. 50,000 तक की राशि निकाली जा सकती है।

दुग्ध अक्षय योजना

राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड द्वारा दुधारू गाय व भैंस के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित यह पशुधन बीमा योजना राज्य के अधिकांश जिलों में संचालित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

डेयरी उद्यमिता विकास योजना

पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग द्वारा वर्ष 2005–06 में पायलट योजना के रूप में शुरू की गई इस योजना को संशोधित कर 01 सितम्बर, 2010 से डेयरी उद्यमिता विकास योजना के रूप में लागू किया गया। योजना का उद्देश्य स्वच्छ दूध उत्पादन, अच्छे प्रजनन स्टॉक का संरक्षण तथा असंगठित क्षेत्र के लिए स्वरोजगार पैदा करना है। योजनान्तर्गत नाबार्ड द्वारा वंचित तथा पिछडे वर्ग को डेयरी लगाने पर अनुदान व ऋण भी दिया जाता है।

देवनारायण योजना

राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2011–12 से डेयरी विकास हेतु गुर्जर बाहुल्य जिलों–अलवर, झालावाड, करौली, सवाईमाधोपुर, भीलवाडा एवम् धौलपुर आदि जिलों में यह परियोजना संचालित की गयी है।

मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना

राजस्थान सरकार ने पशुधन विकास हेतु 15 अगस्त, 2012 से पशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवश्यक दवाइयों का निःशुल्क वितरण योजना प्रारम्भ की है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिला स्तर पर औषधि भण्डारों की स्थापना कर पशुपालकों द्वारा पशुधन की चिकित्सा पर होने वाले खर्च में कटौती तथा धन के अभाव में पशु चिकित्सा सेवाओं से वंचित पशुओं का भी उपचार किया जाता है।

पशुधन आरोग्य चल इकाई

पशु चिकित्सालय से वंचित राज्य के ग्राम पंचायतों के पशुपालकों को उनके घर पर ही पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु यह योजना 15 सितम्बर, 2013 से प्रारम्भ की गई। इस योजना का उद्देश्य पशु चिकित्सा सुविधाओं से वंचित ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा एवम् पशु संवर्धन सेवाओं का विस्तार तथा पशुपालकों को आर्थिक लाभ पहुँचाना है।

बकरी विकास योजना

प्रदेश में बकरी विकास की अपार सम्भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए वर्ष 2013–14 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उपयोजना N.M.P.S (NATIONAL MISSION FOR PROTEIN SUPPLEMENT) के अन्तर्गत बकरी विकास योजना स्वीकृति की गई है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के गरीब पशुपालकों को आर्थिक एवम् सामाजिक लाभ देना तथा बकरियों की देशी नस्लों का संरक्षण एवम् पशुपालकों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है।

महिला डेयरी विकास योजना (महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति)

महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से उनके आर्थिक सशक्तिकरण हेतु गठित इन समितियों द्वारा दूध संग्रहण एवम् दुग्ध उत्पाद विक्रय का कार्य तथा पशु आहार व चारा विक्रय का कार्य किया जा रहा है।

सरस लाडो योजना

जयपुर डेयरी के द्वारा यह योजना 01 जनवरी, 2016 से प्रारम्भ की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिशुकन्या को प्रोत्साहन, लिंगानुपात को बढाना तथा बाल विवाह को हतोत्साहित करना है। इस योजना के तहत 01

जनवरी, 2016 के बाद पैदा हुई शिशुकन्या को 18 साल बाद उसके विवाह पर रुपये 1 लाख दिये जायेगें।

भामाशाह पशु बीमा योजना

राज्य में पशुपालकों के कल्याण के लिए यह योजना वर्ष 2017–18 से क्रियान्वित की जा रही है। इस बीमा योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/गरीबी रेखा से नीचे के पशुपालकों को मवेशी बीमा प्रीमियम पर 70 प्रतिशत तथा सामान्य पशुपालकों को मवेशी बीमा प्रीमियम पर 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है।

सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना (जनश्री बीमा योजना)

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवम् परिवर्तित आम आदमी बीमा योजना दिनांक 01 जून, 2018 से लागू की गई। इन योजनाओं में आर्थिक सुरक्षा के लिए दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया जाता है। बीमा योजना की **छात्र शिक्षा सहयोग निधि योजना** में बीमित दुग्ध उत्पादकों के कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत् अधिकतम दो बच्चों की शिक्षा के लिए रु. 1200 प्रतिवर्ष प्रति छात्र की दर से लाभ देय होगा।

राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना

व्यक्तिगत दुर्घटना से सम्बन्धित यह योजना 01 जनवरी, 2019 से लागू की गई है। इस योजना में दुर्घटना मृत्यु एवम् पूर्ण स्थाई अपंगता पर रू 5 लाख एवम् आंशिक अपंगता पर रू 2.5 लाख की बीमा राशि देय है। इसके अन्तर्गत योग्य बीमित दुग्ध उत्पादकों को बीमा सुरक्षा प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना

यह योजना 01 फरवरी, 2019 से राज्य में संचालित है। सहकारी दुग्ध उत्पादक संघो को दूध की आपूर्ति करने वाले दुधारू पशुओं के पशुपालकों को रु. 2 प्रति लीटर का बोनस दिया जाता है। इस पहल से अनुमानित 5 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ मिल रहा है।

निष्कर्ष

डेयरी उद्योग से सम्बन्धित विभाग एवम् संस्थाए मुख्यतः डेयरी उद्योग का विस्तार, पशुधन की वृद्धि व स्वास्थ्य एवम् पशुपालक की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर योजनाओं का निर्माण व क्रियान्वयन कर रही हैं। शोध पत्र में वर्णित योजनायें डेयरी किसान की आर्थिक सुरक्षा व लाभ, पशु ऋण, दुर्घटना व जीवन बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधायें, वैज्ञानिक पशुपालन, स्वच्छता व अनुदान से सम्बन्धित हैं। वही पशुओं से सम्बन्धित योजनाओं में उन्नत नस्ल के पशुओं की वृद्धि व संरक्षण, पशुरोग निराकरण, पशु चिकित्सालय व पशु चिकित्सा सुविधाओं में बढ़ोत्तरी, पशु बाँझपन, पशु बीमा, पौष्टिक चारा व घास आदि से सम्बन्धित हैं। इन योजनाओं का क्रियान्वयन व प्रभाव मरुस्थलीय जिलों (विशेषकर बाड़मेर) तथा जयपुर–अलवर आदि में स्पष्ट रूप से अधिक परिलक्षित होता है।

सुझाव

राज्य में पशुपालन विभाग व राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी संघ आदि सम्बन्धित संस्थाओं और विभागों द्वारा 1970 के दशक से लेकर अब तक अनेक योजनायें व परियोजनायें क्रियान्वित की जा चुकी हैं लेकिन पर्याप्त प्रचार–प्रसार व जागरूकता में कमी, अशिक्षा, प्रशासनिक उदासीनता, योजनाओं के द्वारा लाभ प्राप्त करने की जटिल प्रक्रिया, भ्रष्टाचार, उन्नत पशु नस्ल की कमी व कमजोर परिवहन तंत्र आदि के कारण ये योजनायें सिर्फ कागजी घोड़ा बनकर रह गई हैं। इस कारण ये योजनायें अपने वांछित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाती हैं। अतः मुख्य सुझाव इस प्रकार हैं–

1. कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड और राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी संघ आदि के द्वारा संचालित योजनाओं व परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक अन्तर विभागीय एजेन्सी बनानी चाहिए।
2. इन सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त करने की जटिल प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाना चाहिए।
3. डेयरी उद्योग और पशुपालन से सम्बन्धित योजनाओं के पर्याप्त प्रचार–प्रसार, जागरूकता तथा दुग्ध कृषि से सम्बन्धित शिक्षा की जरूरत है।
4. डेयरी किसानों को नगद आर्थिक प्रोत्साहन के साथ ही समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाला, गोष्ठी एवम् पशुपालन व डेयरी उद्योग की बदलती प्रवृत्ति से सम्बन्धित आयोजन किए जाने चाहिए।
5. स्वच्छता, शुद्धता व वैज्ञानिक पशुपालन से सम्बन्धित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।
6. डेयरी किसानों से सम्बन्धित एक ही उद्देश्य व कार्य के लिए कई समानान्तर योजनायें संचालित की जा रही हैं जो एक दूसरी योजनाओं का अधिलेपन कर रही हैं जिससे बजट व समय की बर्बादी, कार्य की अधिकता तथा परस्पर विरोधाभास पैदा होता है। अतः एक ही उद्देश्य या कार्ययोजना के लिए एक ही विस्तृत योजना संचालित की जानी चाहिए जिससे प्रभावी परिणाम मिल सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली, वार्षिक प्रतिवेदन 1999–00 से 2017–18 तक

विभागीय प्रकाशित प्रतिवेदन, राजस्थान पशुपालन विभाग, जयपुर

19वीं व 20वीं पशुगणना, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, जयपुर

राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी संघ, जयपुर, वार्षिक प्रतिवेदन 2001–02 से 2017–18 तक

राज्य आर्थिक समीक्षा, अग्रिम अनुमान वार्षिक प्रतिवेदन 2018–19

राजस्थान जनगणना, प्रतिवेदन 2011

National Action Plan for Dairy Development VISION-2022

Website

www.indiandairy.com
www.dahd.nic.in
www.animalhusbandry.rajasthan.gov.in
www.rldb.nic.in
www.sarasdairy.gov.in